PTCUL

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांकः /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/जी–4 दिनांकः 27.07.2021

विषय :– प्रदेश के समस्त शासकीय कर्यालयों में उपस्थिति के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता
पिटकुल..................।

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 492/xxxi(15)G/21-04(सा0)/2020 दिनांक 26.07.2021 की छायाप्रति आपको इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया कार्यालयों में कार्मिकों की उपस्थिति के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।
सलग्नकः–यथोपरि।

(ए0के0 जुयाल)
उपमहाप्रबन्धक (औ0सं0)

पत्रांकः 1402/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/जी–4 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सहायक–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सहायक/डी0ई0ओ0–निदेशक (परिचालन)/(परियोजना)/(मा0सं0)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि पत्र को संलग्नक सहित पिटकुल की वैबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

   सलग्नकः–यथोपरि।

(ए0के0 जुयाल)
उपमहाप्रबन्धक (औ0सं0)

प्रेषक,

संख्या–692/xxxi(15)G/21–04(सा0)/2020

विनोद कुमार सुमन,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ ।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दिनांक 26 जुलाई, 2021

विषयः– प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों में उपस्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि शासन द्वारा समय–समय पर प्रदेश के समस्त कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति के सम्बन्ध निर्गत शासनादेश संख्या–316/ xxxi(15)G/2020–04(सा0)/2021, दिनांक 20 अप्रैल, 2021 एवं 329/ xxxi(15)G/2020–04 (सा0)/2021, दिनांक 28 अप्रैल, 2021 के द्वारा समूह "क" एवं "ख" के अधिकारीगणों की शत–प्रतिशत तथा समूह "ग" एव "घ" की उपस्थिति 50 प्रतिशत के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

2– उक्त के कम में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में कोरोना वायरस (COVID-19) का प्रभाव कम होने के दृष्टिगत उक्त शासनादेश एवं उपस्थिति के सम्बन्ध में निर्गत समस्त शासनादेशों को अतिकमित करते हुए प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों के समस्त समूह के अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति शत–प्रतिशत सुनिश्चित कराई जायेगी। इसके साथ ही साथ कोविड महामारी से बचाव हेतु समुचित व्यवस्था तथा आवश्यक सावधानी बरते जाने हेतु कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा समुचित कार्यवाही सुनिश्चित कराई जायेगी।

शेष शर्तें यथावत रहेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय,

26.07.21

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)।

कमशः 2/

AI DUAL CAMERA
Shot on realme narzo 30A

2021.07.26 12:32

Scanned with C